फर्द अहकाम

जितेन्द्र बनाम नरेन्द्र

म न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

जस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : ~~प्रार्थना पत्र 20/2024~~

म ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14.02.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कमल किशोर शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रार्थना पत्र का उद्देश्य विफल हो जाए गा अतः अप्रार्थीगणो को विना आवेदन की सूचना दिए एक पक्षीय सुनवायी का व्यादेश जारी किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला अर्जेन्ट प्रकृति का प्रतीत होता है अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 295/15, 296/15, 297/15 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7335 हेक्टेयर स्थित ग्राम खिजूरिया ब्राहमणान प.ह. खिजूरिया ब्राहमणान भू.अ.नि. सांभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थी संख्या 3 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.02.2024 तक विवादित आराजीयात में अपने हिस्से 1/3 में दर हिस्सा 1/4 से अधिक का बेचान/व्ययन न करे। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वादपत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी हो। इस आशय का प्रार्थी आज ही शपथ पत्र पेश करे। पत्रावली पुनः दिनांक 29.02.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	नोटिस जारी DN 455-59 20/2/24
	29/2/24	पत्रावली मूलवाद में प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर नम्बर पर ली गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वादपत्र में प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो करने वादपत्र का स्वीकार होने से खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है	Jitendra 29/2/24 [illegible] 29/2/24

फर्द अहकाम

जितेन्द्र बनाम नरेन्द्र

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 20/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर बस्सी जिला–जयपुर	